GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 82
ANSWERED ON 30/07/2024

PM ROOF TOP SOLAR SCHEME

*82. SHRI P. WILSON

Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

(a) the details of current progress of PM Roof Top Solar Scheme announced in the State of Tamil Nadu;

(b) whether the scheme has not been implemented in full vigor, despite having 40,000 registrations from the State of Tamil Nadu in the Union Government portal;

(c) whether only 5 per cent people in the State has received panels, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(d) whether Government has taken any steps to increase domestic manufacturing facilities for solar cells and modules considering the dependence on imports, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF NEW & RENEWABLE ENERGY AND CONSUMER AFFAIRS, & FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI PRALHAD JOSHI)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement referred to in reply to parts (a) to (c) of the Rajya Sabha Starred Question No. 82 to be answered on 30.07.2024 regarding "PM Roof Top Solar Scheme" by Shri P. Wilson

(a) to (c) The PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana was launched on February 13, 2024, with the aim of installing rooftop solar plants in one crore households. The total financial outlay for the scheme is ₹75,021 crore. As on 24th July 2024, a total of 9.5 lakh registrations and 63,992 applications have been received on the scheme's National Portal from consumers in the State of Tamil Nadu for setting up rooftop solar systems. And, 7,374 rooftop solar systems have been installed, accounting for around 11.5 % of the applications in the State of Tamil Nadu.

As per the operational guidelines for implementation of PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana for the component "CFA to Residential Consumers"; the Distribution Utility (DISCOMs or Power/Energy Department, as the case may be) shall be the State Implementation Agency(SIA) at the State/UT level and shall ensure adherence to timelines specified for provisioning of services for prosumers and shall coordinate with National Programme Implementation Agency (NPIA) on matters pertaining to performance of the vendors registered on National Portal, grievance redressal, programme monitoring at State/UT level and other responsibilities assigned to it by Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) from time to time.

It is the role of respective State Government's DISCOMs or Power/Energy Department to promote the installation of rooftop system, raising consumer awareness, and provision of adequate number of net meters to allow surplus solar power to be fed back into the grid and development of adequate number of vendors for implementation of the scheme. The relatively low percentage of installations compared to the number of applications in the State may be attributable to several factors, including availability of net meters, technical assessments by DISCOMs, logistical aspects of system installation, etc.

The Ministry of New & Renewable Energy, under the ambit of PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana has made a provision of Rs.4,950 Crore for incentivizing DISCOMs for effective implementation of the scheme.

(d) The Ministry of New & Renewable Energy, Government of India, has been consistently bringing out policies for facilitating manufacturing of solar cells and modules in the country. Some of the initiatives, inter-alia, include:

(i) Production Linked Incentive Scheme: The Government of India is implementing the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for High Efficiency Solar PV Modules, with an outlay of Rs. 24,000 crores. Under PLI Scheme for high efficiency solar PV modules, letters of award have been issued for setting up of 48,337 MW of fully/ partially integrated solar PV module manufacturing capacity in the country.

(ii) Domestic Content Requirement (DCR): Under some of the current schemes of the MNRE, namely CPSU Scheme Phase-II, PM-KUSUM Components B & C and PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, wherein government subsidy is given, it has been mandated to source solar PV cells and modules from domestic sources.

(iii) Preference to 'Make in India' in Public Procurement: Through implementation of 'Public Procurement (Preference to Make in India) Order', procurement and use of domestically manufactured solar PV modules has been mandated for Government/ Government entities.

(iv) Imposition of Basic Customs Duty on import of solar PV cells & modules: The Government has imposed Basic Customs Duty (BCD) on import of solar PV cells and modules, with effect from 01.04.2022.

(v) Discontinuation of Customs Duty Concessions: MNRE has discontinued issuance of Customs Duty Concession Certificates for import of material /equipment for initial setting up of solar PV power projects with effect from 02.02.2021.

*****

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 82
मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम</u>

*82. श्री पी. विल्सनः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में घोषित की गई प्रधानमंत्री रूफ टॉप सोलर स्कीम की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पोर्टल में तमिलनाडु राज्य से 40,000 पंजीकरण होने के बावजूद भी इस स्कीम को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है;

(ग) क्या राज्य में केवल 5 प्रतिशत लोगों को पैनल प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने आयात पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए सौर सेलों और मॉड्यूलों के लिए घरेलू विनिर्माण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 82 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना करने के उद्देश्य से दिनांक 13 फरवरी, 2024 को की गई थी। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 75,021 करोड़ रु. है। दिनांक 24 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार, रूफटॉप सौर प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य के उपभोक्ताओं से योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 9.5 लाख पंजीकरण और 63,992 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और, 7,374 रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना की जा चुकी है, जो तमिलनाडु राज्य में प्राप्त आवेदनों का लगभग 11.5 प्रतिशत है।

पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, "आवासीय उपभोक्ताओं को सीएफए" घटक के लिए; वितरण कंपनी (डिस्कॉम या विद्युत/ऊर्जा विभाग, जैसा भी मामला हो) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) होगी और प्रोज्यूमर्स हेतु सेवाओं के प्रावधान के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत वेंडरों के प्रदर्शन, शिकायत निवारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम निगरानी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा इसे समय-समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के साथ समन्वय करेगी।

रूफटॉप प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा देना, उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाना और सरप्लस सौर विद्युत को ग्रिड में वापस भेजने के लिए पर्याप्त संख्या में नेट मीटरों का प्रावधान करना तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में वेंडरों को उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकार के डिस्कॉम या विद्युत/ऊर्जा विभाग की भूमिका में शामिल है। राज्य में प्राप्त आवेदनों की संख्या की तुलना में स्थापनाओं का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें नेट मीटरों की उपलब्धता, डिस्कॉमों द्वारा तकनीकी आकलन, प्रणाली की स्थापना के लॉजिस्टिक पहलू आदि शामिल हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहित करने हेतु 4,950 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

(घ) भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में सौर सेलों और मॉड्यूलों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए सतत नीतियाँ बना रहा है। अन्य के साथ-साथ कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाः भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन कर रही है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पीएलआई योजना के तहत देश में 48,337

मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता की स्थापना के लिए आवंटन-पत्र जारी किए गए हैं।

ii. स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर): एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं जैसे कि सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख तथा ग और पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिनमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया है।

iii. सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को वरीयताः 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश' के कार्यान्वयन के माध्यम से स्वदेश निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों की खरीद और उपयोग को सरकार/सरकारी एजेंसियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

iv. सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा-शुल्क लगानाः सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगाया गया है।

v. सीमा-शुल्क रियायत समाप्त करनाः एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना बंद कर दिया है।

*****

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shrimati Sulata Deo.

SHRIMATI SULATA DEO: Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो पीएम रूफ टॉप सोलर स्कीम है, तो उसमें ओडिशा से कितनी एप्लीकेशन्स आई हैं और कितनी एप्लीकेशन्स के ऊपर काम चल रहा है और कितने लोगों को यह सोलर टॉप यूज करने के लिए परमिशन दी गई है?

श्री प्रहलाद जोशी: सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना जो है... मैं पहले देश के बारे में आंकड़े देना चाहता हूं, it started on 29th February, subsequently, Code of Conduct होने के बाद अभी एक महीने से इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। जहां तक ओडिशा का सवाल है... हर राज्य के बारे में overall बताना है, तो 1.3 crore registrations are done in PMGSY और ओडिशा से 12.3 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 33,681 एप्लीकेशन्स आई हैं और 16,000 इंस्टॉलेशन हुआ है। DISCOMs are the implementing agency. मैं अनुरोध करता हूं कि जो माननीय सदस्य अभी प्रश्न पूछने जा रहे हैं, this is one of the best schemes and some of the States are giving free power unsustainably stepping into the fiscal crisis. To ensure free power with no fiscal load and doing its sustainability, PMSGY is the best solution. इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो सभी सदस्य हैं, वे अपनी-अपनी राज्य सरकारों को इम्प्रेस करके, इन्फ्लुएंस करके इसको जल्दी से इम्प्लिमेंट करवाएं, क्योंकि यह एकदम फास्ट फेज़ में शुरू हो गया है। After Modi-3, now the implementation phase has been very fast. इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जितनी एप्लीकेशन्स आई हैं, उस हिसाब से बहुत राज्यों में रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, कहीं पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इन्स्टालेशन कम हुआ है। इसीलिए डिस्कॉम अगर एक्टिव रोल लेते हैं, तो हम तुरंत इम्प्लिमेंट कर सकते हैं।

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, this is a very important scheme from an environmental standpoint and from solving the infrastructure problem in our country, especially, of electricity. And इस स्कीम का रूरल एरियाज़ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन शहरी इलाकों में भी इसका बहुत-बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सिटीज़ में बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसहोल्ड नहीं हैं। There are societies. Many times, the terraces on the buildings are free. So my first question, Sir, through you would be this. Out of Rs.75,000 crores which is allocated for this project, how much of the funds are earmarked for cities *versus* rural areas? The second point which the hon. Minister has raised was that the MPs should raise this issue with their State Governments. In your reply, you have said that it is the role of respective State Governments' DisComs to promote the installation of solar rooftop system. My limited question is: Given the poor financial health of DisComs across the country, would the Government and the Ministry, in

particular, be open to having a marketing fund across the country to create awareness about this project?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as rural and urban is concerned, there is no such division and whoever wants to install rooftop solar under ***PM Surya*** *Ghar Muft Bijli Yojana,* we are supporting that, and we are continuously following up with the various DisComs of the States to implement it as fast as possible. The second question is about incentivizing the DisComs. Per installation, either it is urban local body or the local body, we are giving Rs.1,000 per installation for the local urban bodies. As far as common building is concerned, up to 500 kilowatt, we are giving subsidy of around Rs.80,000 per kilowatt. It is given for the common building.

MR. CHAIRMAN: One minute. His question is: Will you market this scheme so that more and more people come to know about it and they can take advantage of it? That is the question.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the pointed answer is, हम डिस्कॉम को इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं। डिस्कॉम को जो इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं, उसी पैसे में उन लोगों को मार्केटिंग करनी है।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Ranjeet Ranjan; last supplementary on this.

श्रीमती रंजीत रंजन: धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या पी.एम. सूर्य गृह बिजली योजना मुफ्त है? वैसे यह मुफ्त नहीं है। क्या यह सही नहीं है कि सोलर का पर के.जी. वॉट की कास्ट लगभग 50 से 60 हजार रुपये है? आप इस पर लगभग 50 परसेंट की सब्सिडी दे रहे हैं और 7 परसेंट ब्याज रूरल और अरबन के लिए ले रहे हैं यानी एक पैनल पर 1,400 से 1,500 रुपये एक गरीब आदमी को व्यय करना है। आप 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। अगर तीन पंखे, तीन बल्ब या चार बल्ब जलाने के लिए लगभग ढ़ाई से तीन पैनल लगाने हैं, जिनका लगभग खर्च 1,50,000 के करीब है, जिसमें 75,000 रुपये आप सब्सिडी देंगे, तो उस 75,000 रुपये में से लगभग 4,500 से 5,000 रुपये 7 परसेंट ब्याज के रूप में एक गरीब व्यक्ति को देने पड़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: What is your question?

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह बिजली मुफ्त कैसे है? यह बजट में भी * कहा गया है। * यह तो 50 परसेंट सब्सिडी की बात है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: Madam, what is your question?

श्रीमती रंजीत रंजनः गांव के व्यक्ति को तीन बल्ब जलाने के लिए 4,500 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: Madam, what is your question? Ask your supplementary.

श्रीमती रंजीत रंजनः सर, क्या यह मुफ्त है, इसमें गरीब को 50 परसेंट ब्याज नहीं देना होगा? क्या 300 यूनिट बिजली लेने के लिए, 75,000 रुपये पर, उनको 5,000 रुपये ब्याज के रूप में नहीं देने पड़ेंगे?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the question is, one is sustainability and second is how it is *muft*. I will try to explain, Sir. The approximate cost of 3kW, which we are subsidizing, we are subsidizing around Rs. 78,000 rupees for 3kW installation. Normally, 3kW generates 300 units. And, उसके लिए एप्रॉक्सिमेट्ली 1 लाख, 50 हज़ार का खर्चा है। इस 1 लाख, 50 हज़ार रुपये में से 78 हज़ार रुपये हम सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। Interest subvention में - उन्हें जो बाकी finance लगाना है, उसके लिए 7 per cent interest पर हम बैंक्स से पैसा दे रहे हैं। जो 300 से कम यूनिट यूज़ करते हैं, जब उनका ज्यादा जेनरेट होता है, वे DISCOM में सेल करते हैं और उनका पैसा वापस आ जाता है। Overall, for a normal middle class family of five people, this is definitely, 300 unit is more than sufficient and this excess electricity will be purchased because there is an obligation that every DisCom has to purchase renewable energy. By that, they will be paid back and ultimately, it becomes free.

श्रीमती रंजीत रंजन: आप डिस्कॉम को दे रहे हैं।..(**व्यवधान**)..क्या यह सही है?.. (**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 83. The questioner is not present. Any supplementaries?